न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़ आरएएस

प्रकरण सं. 71/2015/251–ए आरटीए

1. झाबर मल } पुत्रगण स्व. धीसाराम
2. बाबूलाल }
3. दुर्गादेवी पत्नी स्व. धीसाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण सांवलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

प्रार्थीगण

ब ना म

1. मूलाराम }
2. भागूराम } पुत्रगण स्व. डूंगाराम
3. परतूराम }
4. रिछपाल }

समस्त जाति जाट निवासीगण सांवलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

5. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर
6. नायब तहसीलदार, उप तहसील पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री योगेश शर्मा वकील प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 11.01.2016

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पहुंच के लिए अन्य खातेदारों की कृषि भूमि में से रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा जारी करने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की उपधारा (2) के अन्तर्गत यह आवेदन प्रस्तुत कर रहे है। आवेदकगण की भूमि ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की खसरा नं. 394 मिन रकबा 3.04 है. है जिसमें आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की आवेदित रास्ते की भूमि ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खसरा नं. 392 रकबा 1.14 है0, 393

ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

रकबा 0.59 है0, 350 की उतरी सीमा के सहारे 200 मीटर लम्बा तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार रास्ता चाहते है। उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण को अपने उक्त खसरा नं. 394 मिन रकबा 3.04 है. संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार अनावेदक सं. 1 ता 4 की उतरी सीमा के सहारे कुल 200 मीटर लम्बा व 20 फीट चौड़ा क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर रास्ता चाहते है। चाहे गये रास्ते का कन अनावेदकगण की संलग्न नक्शा में लाल स्याही से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में खसरा नं. 394 मिन रकबा 3.04 है. जो संलग्न नक्शा में है, में पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि में से बताये गये उपरोक्त विवरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपने खातेदारी के उपयोग उपभोग करने से संपूर्णतया वंचित हो जायेंगे। हमारा यह प्रार्थना पत्र हमारी खातेदारी भूमि के बेहतर उपयोग हेतु प्रस्तुत न करते हुए रास्ते के सम्बन्ध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहे है एवं इस्तदुआ प्रस्तुत करते है कि हमें हमारी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 394 मिन कुल रकबा 3.04 है0 वाके ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता जो खसरा नं. 392 रकबा 1.14 है0, 393 रकबा 0.59 है0व 350 में से संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाए अनुसार अनावेदक सं. 1 ता 4की उतरी मेड के सहारे सहारे 200 मीटर लम्बा तथा 20 फीट चौड़ा क्षेत्रफल 375 वगमीटर दिलवाने की कृपा करें। अनावेदक सं. 1 मूलाराम आवेदकगण की भूमि खसरा नं. 394 में सहखातेदार भी है, क्योंकि मूलाराम की खातेदारी भूमियों में से आवेदकगण ने रास्ता मांगा है इसलिए अनावेदक पक्षकार बनाया गया है। आवेदन के साथ नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेश ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की पेश की गई है।

2. आवेदन पेश होने पर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं उप तहसीलदार, पलसाना से मौका रिपोर्ट एवं उप पंजीयक, पलसाना से डीएलसी दर चाही गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उप तहसीलदार, पलसाना ने पत्रांक भूअ/15/103 दिनांक 08.10.2015 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित ख.नं. 394 रकबा 3.04 है0 की खातेदारी दुर्गादेवी पत्नी स्व. धीसा हि. 1/4 मूलाराम पुत्र डूंगाराम हि. 1/4 राहिन बाबूलाल, झाबरमल पि. घीसाराम पीएनबी शाखा खाटू मूर्तहीन हि.ब.हि. 1/2 जाति जाट सा.देह व ख.नं. 392 रकबा 1.14 है0, 393 रकबा 0.59 है0 की खातेदारी रिछपाल पुत्र भगवानाराम हि. 1/4, परतूराम पुत्र डूंगाराम हि. 1/4, भागूराम पुत्र डूंगाराम हि. 1/4, मूलाराम पुत्र डूंगाराम हि. 1/4

अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

जाति जाट सा.देह रिकार्ड दर्ज है। मौके पर दोनों पक्षकार उपस्थित मिलें। मौके पर ख.नं. 392 के उतरी पूर्व कौने पर अप्रार्थी मूलाराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट का आवासीय मकान पुख्ता बना हुआ है। मकान के उतर में पुख्ता दीवार बनाकर गेट बनाया हुआ है। गेट के दोनों तरफ. केवल दो पीलर बने हुए है किवाड़ नहीं लगाया हुआ है। गेट चारागाह में बनाया हुआ है। मौके पर इसी गेट से रास्ता जो ख.नं. 392, 393 की उतरी सीमा के सहारे सहारे ख.नं. 394 के उतरी पूर्वी कोने तक जाता है। जो मौके पर रास्ता कायम होकर चालू स्थिति में है। उक्त रास्ता रिकार्ड नक्शे में कटा हुआ नहीं है। मुताबिक नक्शा के उक्त रास्ते की लम्बाई 208 मीटर होती है। मौके पर उक्त रास्ता 208X6= 1248 वर्गमीटर बनता है। मौके पर अप्रार्थी मूलाराम पुत्र डूंगाराम ने बताया कि उक्त रास्ते में आने जाने व किसी भी प्रकार का साधन आने जाने की हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। प्रार्थीगण के आने जाने बाबत ख.नं 394 में ख.नं. 392 व 393 के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। रास्ते का विवरण खसरा नं. 392 में 140मीटर लम्बाई X 6मीटर चौड़ाई = 840 वर्गमीटर व खसरा नं. 393 में 68 मीटर लम्बाई X 6 मीटर चौड़ाई = 408 वर्गमीटर यानि कुल 1248 वर्गमीटर प्रस्तावित है। इस भूमि का वर्तमान प्रस्तावित डीएलसी दर 268180 रूपये प्रति है. है इस प्रकार 0.1248 है0 भूमि का मूल्य 33,468 रू. होती है जिसका दुगुना 66,936 रू. होती है।

3. बहस प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि आवेदित रासते के अलावा प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है उक्त रास्ता दिये जाने मे नियमानुसार राशि का भुगतान पक्षकारान को किया जावेगा।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं उप तहसीलदार पलसाना के पत्रांक भूअ/15/103 दिनांक 8.10.2015 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व उप पंजीयक पलसाना द्वारा प्रस्तुत डीएलसी दर का अवलोकन किया गया। उप तहसीलदार, पलसाना ने रिपोर्ट मे अंकित किया है कि मुताबिक ग्राम सांवलपुरा प.गं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन मे अवस्थित प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 394 रकबा 3.04 है0 मे आने जाने हेतु ख.नं. 392 रकबा 1.14 है0 मे से 840 वर्गमीटर व ख.नं. 393 रकबा 0.59 है0 में से 408 वर्गमीटर वांछित है जिसकी खातेदारी रिछपाल पुत्र भगवानाराम हि. 1/4, परसूराम पुत्र डूंगाराम हि. 1/4, मामूराम पुत्र डूंगाराम हि. 1/4, मूलाराम पुत्र डूंगाराम हि. 1/4 जाति जाट सा.देह रिकार्ड दर्ज है। मौके पर ख.न. 392 के उतरी पूर्व कोने पर अप्रार्थी मूलाराम पुत्र डूंगाराम जाति जाट का आवासीय मकान पुख्ता बना हुआ है। मकान के उतर मे पुख्ता दीवार बनाकर गेट बनाया हुआ है। मौके पर रास्ता ख.न.

Scanned with CamScanner

392, 393 की उतरी सीमा के सहारे सहारे ख.नं. 394 के उतरी पूर्वी कोने तक जाता है। जो मौके पर रास्ता कायम होकर चालू स्थिति में है। उक्त रास्ता रिकार्ड नक्शे में कटा हुआ नहीं है। मौके पर अप्रार्थी मूलाराम पुत्र डूंगाराम ने बताया कि उक्त रास्ते में आने जाने व किसी भी प्रकार का साधन आने जाने की हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। प्रार्थीगण के आने जाने बाबत ख.नं 394 मिन में ख.नं. 392 व 393 के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 394 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 392 में से 140मीटर लम्बाई X 6मीटर चौड़ाई = 840 वर्गमीटर व खसरा नं. 393 में से 68 मीटर लम्बाई X 6 मीटर चौड़ाई = 408 वर्गमीटर यानि कुल रकबा 1248 वर्गमीटर प्रस्तावित है। इस भूमि का वर्तमान प्रस्तावित डीएलसी दर 2,68,180 रूपये प्रति है. है इस प्रकार 0.1248 है0 भूमि का मूल्य 33,468 रू. होती है जिसका दुगुना 66,936 रू. होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 394 मिन वाके ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने के लिए उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते के रकबे के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा उक्त राशि खातेदारों के हिस्से अनुसार देय है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण को अपने खेत ख.नं. 394 मि. में आने जाने हेतु आवेदित रास्ता दिया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-ए के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 394 मि. रकबा 3.04 है0 वाके ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आने जाने के लिए ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमि मुताबिक जमाबंदी संवत् 2070-72 के अनुसार ख.नं. 392 रकबा 1.14 है0 एवं ख.नं. 393 रकबा 0.59 है0 की खातेदारी रिछपाल पुत्र भगवानाराम हि. 1/4, परतुराम पुत्र डूंगाराम हि. 1/4, भागूराम पुत्र डूंगाराम हि. 1/4 व मूलाराम पुत्र डूंगाराम हि. 1/4 जाति जाट सा.देह को नीचे अंकित अनुसार हिस्सा राशि खसरा नं. 392 में से 140मीटर लम्बाई X 6मीटर चौड़ाई = 840 वर्गमीटर व खसरा नं. 393 में से 68 मीटर लम्बाई X 6 मीटर चौड़ाई = 408 वर्गमीटर यानि कुल रकबा 1248 वर्गमीटर डीएलसी दर 2,68,180 रूपये प्रति हैक्टर के अनुसार रकबा 0.1248 है0 भूमि का कुल मुआवजा राशि 66,936 रू. प्रार्थीगण द्वारा तहसील दांतारामगढ में राशि जमा करवाने पर सम्बन्धित खातेदार के नाम हिस्से अनुसार राशि की गणना कर डीडी बनवाकर सम्बन्धित खातेदार को भुगतान हेतु भू अ निरीक्षक को अधिकृत किया जाता है। ग्राम सांवलपुरा प.मं. अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित खसरा नं. 392 में से 140मीटर लम्बाई X 6मीटर चौड़ाई = 840 वर्गमीटर व खसरा नं. 393 में से 68 मीटर लम्बाई X 6

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

मीटर चौडाई = 408 वर्गमीटर यानि कुल रकबा 1248 वर्गमीटर को सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किये जाने हेतु सिवाय चक गै.मु. रास्ता के रूप में कायम किये जाने हेतु उप तहसीलदार, पलसाना जिला सीकर को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को सिवाय चक गैर मु. रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अंकन व नक्शे में तरमीम करवाकर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावें। तदनुसार तहरीर जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 11.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ